न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 02/2025 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील नांगल राजावतान जरिए सरपंच
2. सचिव ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, दौसा जिला दौसा (राजस्थान)
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दौसा पता:– 87, गंगा विहार कॉलोनी, होटल रावत पैलेस के पीछे दौसा राज0

... अप्रार्थीगण

मध्यस्थ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 1457, 1458 एवं 1460 ग्राम गढ तहसील नांगल राजावतान की मुआवजा राशि रूपये 1,21,92,613/– पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ब्याज राशि प्रार्थीगण को दिलवाने के संबंध में ।

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री कौशलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय — दिनांक 17.11.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए एक्सटेंशन दौसा लालसोट कौथून खंड के अंतर्गत ग्राम गढ वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया के खसरा नंबर 1457, 1458, 1460 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की ग्राम गढ वर्तमान ग्राम पंचायत ठिकरिया में आराजी खसरा नम्बर 1455, 1457, 1458 एवं 1460 कुल किता 4 रकबा 3.28 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी ग्राम पंचायत ठिकरिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि में से दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 – ए विस्तार हेतु नांगल राजावतान की ग्राम पंचायत ठिकरिया की भूमि खसरा नम्बर 1457 में से 0.0760 हैक्टेयर, 1458 में से 0.5118 हैक्टेयर एवं 1460 में से 0.0327 हैक्टेयर भूमि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 07.04.2016 द्वारा अवाप्त की गई थी। प्रार्थीगण की भूमि अवाप्त करने के पश्चात् उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर मुआवजा राशि 1,21,92,613/– रूपये का निर्धारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 उक्त मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने हेतु कई बार अप्रार्थी संख्या 1 को निवेदन किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा मुआवजा राशि प्रार्थीगण को अदा नहीं की गई तथा यह कहते हुए कि उक्त भूमि सरकारी भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती तथा मुआवजा राशि दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण को नहीं किये जाने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा माननीय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूअवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर दौसा को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान द्वारा दिनांक 22.05.2024 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि ग्राम पंचायत ठिकरिया की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 1,21,92,613/– रूपये का भुगतान किया जावे। माननीय श्रीमान द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 22.05.2024 पारित करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त मुआवजा राशि 1,21,92,613/– का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया किन्तु उक्त मुआवजा राशि पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज राशि का भुगतान प्रार्थीगण को नहीं किया गया। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या–1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त अवाप्तशदा भूमि के सम्बन्ध में पारित अवार्ड में धारा 3ए की अधिसूचना की समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक 08.09.2015 से 15.09.2016 तक कुल 374 दिन का 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि 1,21,92,613/–पर दिनांक 15.09.2016 से माननीय श्रीमान द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 तक एवं माननीय श्रीमान द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 से मुआवजा राशि दिये जाने के दिनांक तक की 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि 1,21,92,613/–पर दिनांक 15.09.2016 से माननीय श्रीमान द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 तक 7 साल 8 माह 7 दिन (2806 दिवस) की 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि 1,21,59,908/– अक्षरे एक करोड इक्कीस लाख उनसठ हजार नौ सौ आठ रूपये एवं दिनांक 22.05.2024 से मुआवजा अदायगी तक ब्याज राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार प्रार्थीगण कानूनन उपरोक्त ब्याज राशि प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण उपरोक्त ब्याज राशि की अदायगी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम गढ पूर्व में बडागांव ग्राम पंचायत के अधीन था परन्तु वर्तमान में नवीन ग्राम पंचायत ठिकरिया बना दी गई है तथा प्रार्थी नम्बर 1 ग्राम पंचायत ठिकरिया का सरपंच है व 2 सचिव है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि 1,21,92,613/– पर दिनांक 15.09.2016 से माननीय श्रीमान द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 तक 7 साल 8 माह 7 दिन (2806 दिवस) की 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि 1,21,59,908/– रूपये एवं दिनांक 22.05.2024 से मुआवजा अदायगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तक की ब्याज राशि का भुगतान शीघ्र प्रार्थीगण को करने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित फरमाने की कृपा करें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का पारित अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा के द्वारा विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 द्वारा बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या – 01 द्वारा अवाप्त की गई भूमि के संबंध में निर्धारित की गई अवार्ड राशि 1,21,92,613/–रूपये मय ब्याज अप्रार्थी संख्या 01 के यहां जमा करवा दी गई थी। उक्त राशि हितबद्ध व्यक्तियों को वितरण करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 01 की थी, जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 का कोई लेना–देना नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी संख्या – 02 द्वारा अवार्ड राशि उसे अदा नहीं की गई हो, सरासर गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अदा की गई अवार्ड राशि 1,21,92,613/– रूपये में 4,80,055/–रूपये ब्याज सम्मिलित है, जिसकी पुष्टि कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) दौसा की अनुक्रमणिका के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है। इसलिए प्रार्थी अन्य कोई ब्याज राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा दायर प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को इस मद में वर्णित कथनों के अनुसार ही अप्रार्थीगण द्वारा व्याज राशि का मूल्यांकन कर ही कुल 1,21,92,013/– रुपये का भुगतान किया गया है जो कि पूर्ण रूप से सही है। माननीय मध्यस्थ महोदय, दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.05.2024 में प्रार्थी को 1,21,92,613/– रूपये अदा करने के ही आदेश पारित फरमाये गये थे, उक्त आदेश की अनुपालना के अनुसार ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को मुआवजा राशि अदा की गई। प्रार्थी केवल मात्र स्वयं को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से मनगंढत एवं गलत तथ्य अंकित कर अनुचित ब्याज की मांग कर रहा है। प्रार्थी कोई ब्याज राशि अपने बताये अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है, जिसको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास, प्रबंध एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सतत प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध करावे। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोक हित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुये दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए का निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड – क के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी राजावतान (दौसा) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात राजस्थान राज्य के दौसा जिले में दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के लिये भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 A की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा क्रमांक सख्या–1851(अ) दिनांक 10.07.2015 को जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया उक्त अधिसूचनाओ का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.09.2015 को किया गया, के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नंबर, भूमि की किस्म, भूमि का प्रकार तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अंतर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अंदर अपनी आपत्तियों सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से निवेदन है कि दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए कार्य हेतु उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें दौसा के ग्रामों की अवाप्त भूमि का प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसके लिए उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के हेतु अधिसूचना दिनांक 10.07. 2015 के अन्तर्गत धारा 3ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत दौसा जिले की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड – ii के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे आगे अधिनियम 1956 से सम्बोधित किया गया है की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, एवं धारा 3ए की अभिसूचना का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों दिनांक 08.09.2015 को "राजस्थान पत्रिका" एवं " दैनिक भास्कर" में विधिवत प्रकाशित किया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों मे प्रकाशन के बाद निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर 20 आक्षेप/आपत्तियां काश्तकार/पक्षकारान् हितबद्ध खातेदार से प्राप्त हुए थे उनका सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर आक्षेपो को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा–III के अन्तर्गत निर्णित कर तदोपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) की अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (प्प) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में दिनांक दिनांक 07.04.2016 को "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात अपनी धारा 3 डी का अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों समाचार जगत व दैनिक समाचार में दिनांक 07.04.2016 को किया गया। राष्ट्रीय [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के संबंध में प्रावधान दिये गये है । धारा 3डी (2) के अनुसार भूमि [illegible] धारा 3 डी (1) जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि निर्बाध [illegible] सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें खातेदार अथवा हितधारी को कोई भी हक व ह[illegible] शेष नही रह जाता है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। धारा 3डी (4) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा को किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष चुनौती नही दी जा सकती है।

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना के दिनांक 10.07.2015 को बाजार मूल्य (मार्केट वेल्यू) के संबंध में तहसील क्षेत्र नांगल राजावतान जिला दौसा की अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में जिला पंजीयक दौसा द्वारा डी एल सी इस कार्यालय को प्रेषित की है, के आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया । उपरोक्त तालिका के कॉलम 4 के अनुसार प्रति हैक्टेयर मार्केट वैल्यू निर्धारित करते हुए प्रथम शिड्यूल के क्रमांक 2दृ3 में धारित नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) उपरोक्त कॉलम 7 के अनुसार मुआवजा तय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम शिड्यूल के सिरियल क्रमांक नं. 05 के अनुसार उक्त तालिका के कॉलम 7 की राशि से अवाप्त भूमि के क्षेत्रफल से गुणांक की राशि के अनुपात में उतनी ही राशि अर्थात 100 प्रतिशत राशि सोलिशियम जोड़ते हुए निर्धारित की है। आधिकारित रूप से डी एल सी दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है । निर्धारित मूल्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (G) (2) के प्रावधानानुसार भूमि की देय कीमत पर 12 प्रतिशत मुंआवजे में अंकन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदारी/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, इत्यादि के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में जो आपत्ति की गई उसका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के को पारित कर दिया गया। संबंध में अवार्ड दिनांक को पारित करने यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपना अवार्ड दिनांक ...... को पारित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपना अवार्ड दिनांक .... को पारित करने से पूर्व प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिये श्रीमान उप पंजीयक जिला दौसा से अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 ए की दिनांक 10.07.2015 की बाजार दर (डी.एल.सी. की वैल्यू) मंगवाई गई थी, तदोपरान्त पंजीयक अधिकारी जिला दौसा द्वारा धारा 3 ए की दिनांक 10.07.2015 की बाजार दर (डी. एल.सी. की वैल्यू) सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई व उप पंजीयक महोदय द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/ स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक एवं सडक से दूरी तक के संदर्भ में भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म के अनुसार जो भूमि की कीमत दी गई थी, उसे ही सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित है। उप पंजीयक महोदय द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। यहां यह लिखना भी उचित होगा कि डी. एल. सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, बाजार भाव शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टॉम्प नियम 2004 के नियम 58 के अनुसरण में किया जाता है, ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता कि डी. एल. सी. दर व बाजार मूल्य में किसी [illegible] राजस्थान स्टॉम्प नियम 2004 के नियम 2 (1) (ख) के अनुसार जिला स्तरीय स[illegible] निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–"जिला स्तर समिति से भूमि [illegible] के प्रयोजन के लिये समय समय पर जिले के लिये राज्य [illegible] समिति अभिप्रेरित है।" उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा ही [illegible]जार मूल्य का निर्धारण किया जाता है । हस्तगत प्रकरण में उप पंजीयक जिला दौसा द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये बाजार मूल्य (डी. एल. सी.) को सक्षम प्राधिकारी को भेजा, जिसे ही सक्षम

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

प्राधिकारी ने मुआवजे के निर्धारण के लिये प्रयुक्त किया गया है। यहा यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है। अपवाद के रूप में कभी–कभी कोई भूखण्ड किसी व्यक्ति विशेष के लिये अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और वह व्यक्ति विशेष उस भूमि का डी. एल. सी. से अधिक मूल्य चुकाने हेतु सहमत भी हो सकता है, परंतु वह मूल्य वास्तविक मूल्य नही होता है। जिला स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण एवं जन प्रतिनिधि भाग लेते है एवं संपूर्ण समिति की सहमति के पश्चात ही भूमि का बाजार मूल्य अर्थात डी.एल. सी. दर निर्धारित की जाती है। अधिनियम 2013 के बाद में तो डी. एल. सी. रेट का भी कई गुना मुआवजा हितबद्ध व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि हितधारियों के हितों की रक्षा करता है। प्रार्थी को उसके भूखण्ड के बाजार मूल्य से कही अधिक मुआवजा दिया गया है, जो कि नियमानुसार है। उल्लेखनीय है कि अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अलाइनमेंट एवं राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे की जांच के उपरान्त मुरब्बा व किला नम्बरान् के सर्वेक्षण, मुरब्बा व किला संख्या, भूमि की किस्म, भूमि के स्वामित्व की प्रकृति, क्षेत्रफल व हितबद्ध पक्षकार/ खातेदार के अनुसार मुआवजा राशि की गणना की गई है एवं अवाप्तिधीन भूमि के संबंधित भूधारक/भूस्वामी/हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मुआवजा संबंधित आपत्तियां दर्ज करवायी गई, उनका नियमानुसार निस्तारण कर मुआवजे का निर्धारण पंजीयक अधिकारी, जिला दौसा द्वारा धारा 3 ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय से बाजार दर (डी.एल.सी.) के आधार पर किया जाकर अवार्ड दिनांक .... को पारित को पारित किया गया, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक जिला दौसा से प्राप्त निर्धारित डीएलसी के आधार पर की गई व इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (2) व (7) में दिये गये निर्देशों के अनुसार, भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 की पालना करके एवं भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015 के तहत 100 प्रतिशत वृद्धि कर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। जो पूर्णतः सही एवं उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि में धारा 3 ए के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 10.07.2015 से भुगतान की तिथी तक 12 प्रतिशत ब्याज भी दिया गया है। भारत सरकार के परिपत्र संख्या 8360/सी. सी/5166/दिनांक 08/08/2016 के अनुसार RFCTLARR Act 2013 की धारा 26 (2) के अनुसार गुणक 2 या राज्य सरकार के द्वारा घोषित गुणक में से न्यूनतम होगा। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप –6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–1(3)राज0–6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14/06/2016 के अनुसार शहरी क्षेत्र की दूरी 0 से 10 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.25 दर्शाया गया है एवं 10 से 20 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.50 व 20 से 30 किमी. गुण दूरी 1.75 तथा 30 से अधिक का गुणक 2. 00 किया गया है। उक्त सूचना पकाई दौसा को उक्त दूरी संबंधित सूचना प्रस्तुत की गई, उसमें संबंधित नम्बरान सम्मिलित है। भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की [illegible] संख्या–1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा [illegible] (क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित कर प्राप्त [illegible] सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। [illegible] कम संख्या–2 में शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारण (Factor) से गुणित किया गया है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.07.2015 के अनुसार कारण (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 (डी) (प)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 10.07.2015 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अंतिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। उक्त ग्राम लाहडी का वास 10 किलोमीटर से अधिक व 20 किलोमीटर से तक में गुणक से बाजार मूल्य गुणक पद्धति 1.5 से होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (1) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवार्ड की राशि को जमा कराये जाने का प्रावधान है, जिसकी पालना करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अवार्ड की राशि सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दी गयी है। धारा 3 एच (2) के अनुसार मुआवजे की राशि केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के हकदार व्यक्तियों को तुरन्त प्रभाव से भुगतान किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सप्रेस हाईवे अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत पी.डब्लू.डी. द्वारा उक्त आवाप्त भूमियों एवं निर्माण आदि का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश दिया गया, साथ ही संबंधित तहसीलदार को उनके पटवारी एवं गिरदावरी सहित सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में पी डब्ल्यू डी की वी एस आर (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पुष्ट (वेट) किया गया। उक्त निर्माण आदि संरचना का अवार्ड श्रीमान सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है। विधि के प्रावधानो के अनुसार यदि मुआवजे का अवार्ड जारी होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण मुआवजे की राशि को जमा करा दिया जाता है, तो भा. रा. रा. प्रा. हितबद्ध पक्षकारो को देरी से भुगतान होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से ब्याज राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नही है। हितधारी का दायित्व है कि वह सक्षम प्राधिकारी से मुआवजे की राशि को विधिक प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर लेवें, यदि किसी हितधारी द्वारा किसी भी कारण से मुआवजे की राशि को प्राप्त नही किया जाता है तो वह हितधारी मुआवजे के अवार्ड में दी गई राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नही है । यह कि रा. रा. अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (4) के अनुसार यदि मुआवजे के विभाजन से संबंधित पक्षकारो के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी आरम्भिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को विवाद के निपटारे के लिए निर्देशित कर सकता है। राजमार्गो पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि रूपांतरण हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लागू होते है। इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार आवासीय व पेट्रोल पम्प हेतु भू रूपांतरण सडक के मध्य से 40 मीटर छोडकर व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू रूपांतरण सडक के मध्य से 75 मीटर छोडकर ही किया जा सकता है, साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उक्त संबंध में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाते है जो कि भू संपरिवर्तन आदेशों पर स्पष्टतया लागू होते है । यदि भू संपरिवर्तन [illegible] होते दिशा निर्देशों व राज्य सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हुये जारी किये जाते है तो उक्त संपरिवर्तन आदेश इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश अनुसार व राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक नं. एस.ई. (एन.एच.) पी.ए./05/डी [illegible] 1663, दिनांक [illegible].02.2005 तथा क्रमांक प–2(8) राज/भू0रू0/ग्रुप–9/02 दिनांक 20. 11.2004 के अनुसार स्वमेव ही निरस्त व शून्य हो जाते है। यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है।यदि अवाप्तशुदा भूमि को बिना विधिवत रूपांतरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लाया जा रहा है तो इसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यहां यह लिखना भी उचित होगा कि इसी प्रकरण की तरह अन्य समान प्रकरण विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिसमें कि सभी न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित कर विपक्षी/अप्रार्थी द्वारा तय किये गये मुआवजे तथा मुआवजे के निर्धारण जो कि उपरोक्तानुसार किया गया था को सही मानते हुये उक्त प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्णय किया कि विपक्षी / अप्रार्थी द्वारा जो भूमि का मुआवजा डी. एल. सी. दरों के आधार पर निर्धारित किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैन्ट से प्राप्त सर्वे एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शिड्युल आफ रेट (ठैत) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया जो कि पूर्णतया सही एवं उचित है तथा उक्त डी. एल. सी. दरों के आधार पर भूमि के मुआवजा निर्धारण के आधार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सही माना गया है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्धेश्य ना तो आवासीय और ना ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिससे अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/ऊर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

8. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा सेरिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसारग्राम टीकरीगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 1457, 1458, 1460 की मुआवजा राशि 1,21,92613/– रू. की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 8.10.2021 को मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 20.10.2021 करो परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार दौसा–लालसोट–कौथून खंड हेतु ग्राम पंचायत बडागांव (वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया) तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 1457 में से रकबा 0.0760है. खसरा नंबर 1458 में से रकबा 0.5118है. खसरा नंबर 1460 रकबा 0.0327है. भूमि अवाप्त की गई है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की उप पंजीयक नांगल राजावतान द्वारा तत्समय उपलब्ध करायी गई डीएलसी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर राशि 1,21,92613/–रू. का अवार्ड दिनांक 15.9.2016 को जारी कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को मुआवजा राशि की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। लेकिन उक्त भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा [illegible] भूमि मानते हुए उक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करवायी [illegible] के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत ठीकरिया द्वारा कार्यालय में उपस्थित [illegible] 2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नंबरान की मुआवजा [illegible] गई जिसे कार्यालय द्वारा दिनांक 20. 10.2021 को परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा को प्रेषित कर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा द्वारा दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अवगत कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

है कि राज0 सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.1(4)राज06/2001/पार्ट/02 दिनांक 28.4.2016 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संरेखण में आ रही राजकीय भूमि का निशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी, उपयोगिता गलियारों का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सडक मार्ग पर निशुल्क रहेगा एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि की राशि उपलब्ध नहीं करवायी गई है। पत्पश्चात प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमान आर्बिट्रेटर महोदय दौसा के यहॉ प्रकरण दर्ज करवाया गया जिसमें श्रीमान आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 22.5.2024 को निर्णय पारित करते हुए संबंधित हितबद्ध व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में परियोजना निदेशक भाराराप्रा दौसा द्वारा दिनांक 9.8.2024 को कार्यालय के खांते में मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के उपरांत संबंधित हितबद्ध व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। श्रीमान आर्बिट्रेटर महोदय दौसा के यहॉ पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड जारी होने से माननीय आर्बिट्रेटर महोदय के निर्णय दिनांक 22.5.2024 को पारित निर्णय तक की 9 प्रतियात ब्याज राशि की मांग की गई है। उक्त के संबंध में माननीय श्रीमान आर्बिट्रेटर महोदय से निवेदन है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3) के अनुसार 3ए के प्रकाशन से अवार्ड जारी होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का का प्रावधान है जो कि प्रार्थी को मुआवजा राशि के साथ दिया जा चुका है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (5) के अंतर्गत यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि को यदि आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा बढाया जाता है तो उक्त गढी हुई राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त हितबद्ध व्यक्ति की राशि नहीं बढाई गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2024 को पारित निर्णय में सक्षम प्राधिकारी को पूर्व में निर्धारित राशि का ही भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थीगण की मुख्य मांग यह है कि आर्बिट्रेटर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2024 पारित करने के उपरांत अप्रार्थी सं0 01 द्वारा उक्त मुआवजा राशि 1,21,92,613/–रू0 का भुगतान प्रार्थीगण को कर दिया गया किन्तु उक्त मुआवजा राशि पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज राशि का भुगतान प्रार्थीगण को नहीं किया गया है। हमने भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा पारित मुआवजा अवार्ड आदेश संशोधित गणना पर्चा खतौनी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार दौसा कौथून खंड हेतु ग्राम ठीकरी गढ तहसील नांगल राजावतान का अवलोकन किया गया जिसमें गणना पर्चा खतौनी के कॉलम नंबर 11 में धारा 3 ए की अधिसूचना की समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक 8.9.2015 से 15.9.2016 तक कुल 374 दिन का 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अतिरिक्त राशि 480055/–रू0 ब्याज के [illegible] है।

9. इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 19[illegible] की धारा3 एच 5 अवलोकनीय है जिसमें प्रावधान है कि " Where the amount determined under section 3 G by the arbitrator in an axcess of the amount determined by the competent authority , the arbitrator may award interest at 9 percent per annum on such excess amount from from the date of the actual deposit thereof. " उक्त नियम अनुसार 9 प्रतिशत ब्याज देने की बाध्यता नहीं है किन्तु "may" शब्द का प्रयोग किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

प्रार्थीगण के द्वारा पारित अंतिम अवार्ड जो कि दिनांक 15.9.2016 को जारी किया गया था, को आर्बिट्रेटर के समक्ष लगभग 6 वर्ष के विलंब से चुनौती दी गई थी। जबकि आर्बिट्रेटर के समक्ष अवार्ड को 3 वर्ष की समयवाधि में चुनौती दिये जाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। अवार्ड को चुनौती प्रार्थीगण द्वारा विलंब से दी गई है, अतः उन्हें यह 9 प्रतिशत ब्याज दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का पारित अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested